L-31 राजनीति विज्ञान Political science Dr. Avinash Kumar P-38

Justice - न्याय

Concept of Justice in Political Thought
राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा

यदि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन विशुद्ध समयरक शब्दावली में किया जाए तो हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो तत्व वास्तव में कानून, अधिकारों, स्वतंत्रता, बन्धुता या सहयोग तथा समानता के मूल भावों को परस्पर जोड़ता है वह न्याय है। पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारम्भ किया जा सकता है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रिपब्लिक' (Republic) का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना ही है पुनः प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन् नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्य से सम्बन्धित न्याय। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश मौजूद है- इन्द्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व, शौर्य और बुद्धि। इन तीनों तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के तीन वर्ग होते हैं; जिन्हें क्रमशः शासक वर्ग, सैनिक या रक्षक वर्ग और उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जाता है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है।

अरस्तू ने न्याय के दो भेद माने हैं।

(i) वितरणात्मक राजनीतिक न्याय - इसके अनुसार राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गयी सेवा के अनुसार हो।

(ii) सुधारक न्याय - इसका तात्पर्य यह है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ सम्बन्ध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जावे।

ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है। और उनका कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुण्ड मात्र कहे जा सकते हैं। इनके अनुसार, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी कि व्यवस्था माँग करती है। अन्तिम रूप में न्याय से उसका आशय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य - पालन से है।

थॉमस एक्वीनास कानून और न्याय को परस्पर सम्बन्धित मानते हुए न्याय की विवेचना करता है। इनके अनुसार यह प्रत्येक व्यक्ति को ~~सम~~ उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। अतः न्याय का मौलिक तत्व समानता है।

प्राचीन युग में जहाँ न्याय की नैतिक दृष्टि से विवेचना की गयी है वहाँ मध्य युग के अन्त और आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से विवेचना की गयी है।

भारतीय राजनीतिक चिन्तन में न्याय - भारत के प्राचीन राजनीतिक चिन्तन में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, तथा सोमदेव आदि सभी के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस सम्बन्ध में भारतीय राजनीतिक चिन्तकों की विशेषता यह रही है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिन्तक आधुनिक युग में ही अपना सके।

मनु की दूर दृष्टि इस बात में है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी विवादों की वे दो श्रेणियां बतला दी थी, जिन्हें आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और तत्परता पर अधिक बल दिया है। एक स्थान पर वे लिखते है, जिस सभा (न्यायालय) में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते है।

कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करना है।

Avinash